दीवानी विविध प्रार्थना पत्र सं. 48/2021
किशनलाल बनाम रामकुंवरी वगैरह

14.07.2021

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण से बचाव हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी परिपत्र 14/पीआई/2021 दिनांक 01.07.2021 के आदेशानुसार प्रार्थी अधिवक्ता श्री सूर्यकांत दाधीच उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह व श्री फिरोज हरसौरी उपस्थित एवं अप्रार्थी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर पारीक ने अण्डरटेकिंग पेश की। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस अंतरिम हेतु निवेदन किया जिस पर उभयपक्षों को सुना गया।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित सीमाओं में प्रार्थी का एक प्लॉट वाकै ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में आबादी में अवस्थित है जो प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व, आधिपत्य का पट्टेशुदा प्लॉट था जिसका बापी पट्टा ग्राम पंचायत स्यार द्वारा दिनांक 19.12.1973 को क्रमांक 2/4 क्षेत्रफल लंबाई 2 गज दो फीट तथा चौड़ाई 6 गज नाप का जारी किया गया। वादवर्णित जायदाद कदीम से एकमात्र प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व, आधिपत्य की जायदाद है तथा प्रार्थी कदीम से अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर पक्का पट्टीपोश लेटबाथ बने हुए हैं मुख्य द्वार पर लोहे का गेट लगा हुआ है तथा प्लॉट में प्रार्थी के कृषि यंत्र, जलाउ लकड़ियां ईंधन, कण्डे आदि रखे हुए हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 3 बदनियती से प्रार्थी की पट्टेशुदा जायदाद में से गलत व अवैध रूप से रास्ता निकाल कर प्रार्थी की जायदाद पर अवैध रूप से कब्जा कर हड़प करना चाहते हैं, जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 का कोई वास्ता सरोकार नहीं है, ना ही प्रार्थी की जायदाद पर किसी प्रकार का कोई रास्ता है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से रास्ता निकाल कर कब्जा कर नया हक कायम करने की नियत से उसकी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 04.07.2021 को अप्रार्थीगण प्रार्थी की पट्टेशुदा भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की नियत से प्रार्थी की पट्टेशुदा जायदाद पर लगे गेट को तोड़ने का प्रयास किया तथा जायदाद में रखे हुए प्रार्थी के सामानों को बाहर फेंकने का प्रयास किया और प्रार्थी की जायदाद में नया रास्ता बनाने के लिए मिट्टी आदि डालने का प्रयास किया। तब प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थी सं. 1 से 3 झगडा करने पर आमादा हो गए। अप्रार्थीगण ने अवकाश का अनुचित फायदा उठाने की नियत से मौके पर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री डालकर अवैा रास्ते का निर्माण करने हेतु प्रयासरत है। इसलिए अप्रार्थीगण को रोके जाने का तर्क प्रस्तुत किया एवं किशनलाल का शपथ पत्र पेश किया।

जबकि दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत स्यार से जारी बापी पट्टे में कांट–छांट की जाकर उसमें संशोधन किया गया है। उक्त जायदाद में आधा हिस्सा अप्रार्थीगण का है जिसको काश्त करने का अधिकार अप्रार्थीगण का है तथा डेढ वर्ष पूर्व ग्राम स्यार में आबादी विकसित की गई है तथा जारी किया गया पट्टा कहीं और का है जिसमें वादग्रस्त सम्पति के संबंध में संशोधित कर दिखाया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने का तर्क प्रस्तुत किया।

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि दिनांक 19.12.1973 को ग्राम पंचायत स्यार के द्वारा प्रार्थी के हक में क्षेत्रफल लंबाई 2 गज 2 फीट व चौड़ाई 6 गज नाप का बापी पट्टा जारी होना दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा पत्रावली पर यह तथ्य भी प्रकट होता है कि उक्त वादग्रस्त जायदाद का अप्रार्थीगण के पास स्वामित्व व कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज वगैरह हो इस बाबत कोई तथ्य पत्रावली पर

प्रकट नहीं होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा स्वयं के नाम से ग्राम पंचायत स्यार द्वारा जारी बापी पट्टा दिनांक 19.12.1973 की प्रति पत्रावली पर पेश किया जाना प्रकट होता है। जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थीगण का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि बापी पट्टे में कांट–छांट की जाकर उसमें संशोधन किया गया उक्त तथ्य साक्ष्य का विषय है जो साक्ष्य आने के पश्चात् ही सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा अप्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो, ऐसा कोई कथन दौराने बहस अप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान् में वाद बहुलता ना बढ़े, इस कारण अप्रार्थीगण को यह आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी को उसकी पट्टेशुदा जायदाद के संबंध में किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ व खुर्दबुर्द इत्यादि नहीं करें एवं ना ही कोई रास्ता निकालें एवं उपयोग–उपभोग में जवाब पेश होने तक कोई बाधा कारित नहीं करें। उक्त आदेश जवाब पेश होने तक ही प्रभावी रहेगा।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी एवं जवाब टी.आई. हेतु दिनांक ..... को पेश हो।